कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता केन्द्र, गाजियाबाद
ए–1, मेरठ रोड इण्ड0 एरिया गाजियाबाद
दूरभाष सं0 –0120–2712028, फैक्स–0120–2720893, ई–मेल– dicghaziabad@gmail.com

प्रेषक,

उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र,
गाजियाबाद।

सेवा में,

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
2. पुलिस उपायुक्त (नगर) /नोडल अधिकारी उ0ब0, गाजियाबाद।
3. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
4. उप जिलाधिकारी सदर/मोदीनगर/लोनी, गाजियाबाद।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
6. परियोजना निदेशक, डूडा, गाजियाबाद।
7. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।
8. जिला आपूर्ति अधिकारी, गाजियाबाद।
9. जिला आबकारी अधिकारी, गाजियाबाद।
10. सहायक स्टाम्प आयुक्त, गाजियाबाद।
11. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद।
12. जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
13. ई.डी.एम./जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, गाजियाबाद।
14. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीएसआईडीए, महालक्ष्मी मॉल राजनगर, गा0बाद।
15. मुख्य अभियंता, उ0प्र0 पावर कार्पो0 लि0, मेला प्लाजा, गाजियाबाद।
16. सहायक निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), गाजियाबाद।
17. सहायक निदेशक, हथकरघा एवं रेशम उद्योग, मेरठ।
18. परियोजना अधिकारी यू0पी0एस0आई0डी0ए0 ट्रोनिका सिटी लोनी गाजियाबाद ।
19. अधीक्षण अभियंता, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, वसुन्धरा, विद्युत खण्ड–2 वसुन्धरा कॉम्पलैक्स, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
20. प्रभागीय वन अधिकारी, वन विभाग, गाजियाबाद।
21. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग, बु0शहर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद।
22. औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड गाजियाबाद।
23. जिला उद्यान अधिकारी, गाजियाबाद।
24. सहायक निबन्धक, सहकारिता गाजियाबाद, गाजियाबाद।
25. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, मेरठ।
26. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, सैक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
27. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गाजियाबाद।
28. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटैक्निक, गाजियाबाद।
29. डेयरी डेवलेपमेण्ट ऑफिसर, गाजियाबाद।
30. जिला मत्स्य अधिकारी, गाजियाबाद।

विषय :– **दिनांक 13.04.2023 को अपरान्ह 12:30 बजे, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सभाकक्ष में एम0ओ0यू0 कियान्वयन तन्त्र एवं एम0ओ0यू0 की प्रगति की समीक्षा सम्बन्धी बैठक में प्रतिभाग विषयक।**

पत्रांक : 50 /जिउएवंउप्रोके /गा0बाद/ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट/बैठक/2023–24 दिनांक : 12/4/23

महोदय/महोदया,

कृपया पत्र के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एम0ओ0यू0 कियान्वयन तन्त्र के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 14/2023/1039/77–6–2023 दिनांक 27 मार्च 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि :–

एम.ओ.यू. के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए तन्त्र विकसित किया जायेगा, जिसका ढांचा निम्न प्रकार होगा ।

(क) विभागों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की भूमिका

1.........

6. एम.ओ.यू. के कियान्वयन, अनुश्रवण एवं उनमें वर्णित निवेश आशय को साकार करने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित विभाग के उस अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का होगा, जिसकी संस्तुति के आधार पर एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये थे।

7. औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में सम्बन्धित एम.ओ.यू. के कियान्वयन, अनुश्रवण एवं उनमें वर्णित निवेश आशय को साकार करने का सम्पूर्ण दायित्व उस प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का होगा।

8. समस्त विभागों/औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने से सम्बन्धित निवेशकों से सम्पर्क स्थापित कर निवेश सारथी पोर्टल पर विकसित " प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन फार्म" पर अनिवार्य रूप से अगले 20 दिन में प्रविष्टि की जानी होगी तथा इस फार्म को नियमित रूप से अपडेट किया जाना होगा। **इसी फार्म में विभागों/प्राधिकरणों** द्वारा परियोजना को शुभारम्भ हेतु तैयार (Ground –breaking Ready) के रूप में टैग किया जायेगा।

9. समस्त विभाग/प्राधिकरण द्वारा अपने से सम्बन्धित **शीर्ष के 10 निवेशक/एम.ओ.यू. हस्ताक्षरकर्ता के साथ** अपने विभाग के किसी अभिज्ञ अधिकारी को हैण्डहोल्डिंग के लिए नामित किया जायेगा, जो कि उस निवेशक के लिए **एकल सम्पर्क बिन्दु (Single Point of Contact)** के रूप में कार्य करेगा।

10. इन्वेस्ट यूपी द्वारा प्रत्येक निवेशक को **मा0 मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजनान्तर्गत भी एकल सम्पर्क बिन्दु (Single Point of Contact)** आवंटित किया जायेगा।

(ख) MoUs के अनुश्रवण के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत फ्रेमवर्क –

2. जनपद स्तरीय एम0ओ0यू0 कियान्वयन इकाई (जनपदीय एम.आई.यू.)

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में निम्न इकाई गठित की जायेगी :–

जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	–	सदस्य
पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	–	सदस्य
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)	–	सदस्य
क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीसीडा	–	सदस्य
सहायक स्टाम्प आयुक्त,	–	सदस्य
मुख्य अग्निशमन अधिकारी	–	सदस्य
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	–	सदस्य
उपायुक्त उद्योग	–	सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद स्तर के समस्त सम्बन्धित हितकारों को उक्त कियान्वयन इकाई में सम्मिलित किया जा सकता है। **इन्वेस्ट यूपी द्वारा प्रत्येक जनपद में भी एक उद्यमी मित्र तैनात किया जायेगा।**

निवेश सारथी पोर्टल पर जनपदीय एमआईयू हेतु मैप किये गए समस्त एम.ओ.यूज पर follow up Action का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपदीय एम0ओ0यू0 इकाई का होगा, जिसके द्वारा प्रत्येक 15 दिन में एम0ओ0यू0 पर follow up Action पोर्टल पर अद्यतन कराना होगा।

1.5 भूमि से सम्बन्धित विकल्प उपलब्ध कराना तथा जनपद स्तर से समस्त **Clearance/NoCs को** समयबद्ध रूप से निवेशकों को उपलब्ध कराना भी इकाई का दायित्व होगा।

1.6 उक्त शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त विभागीय एम.आई.यू. द्वारा निवेशकों से सम्पर्क करके उनकी भूमि, विद्युत व जल संयोजन आदि की आवश्यकताओं को " **Project Facilitaion Form** " पर अंकित कराया जायेगा।

2.........

1.7 विभागीय एम.आई.यू. द्वारा जनपदीय एम.आई.यू. से सम्पर्क स्थापित करके भूमि आवंटन सुविधा, अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जायेगी तथा निवेशकों की अन्य आवश्यकताओं /समस्याओं /कठिनाइयों का निराकरण किया जायेगा।

कृपया अवगत कराना है कि **उपरोक्त इकाई के गठन, विभागवार जनपद के एम0ओ0यू0 के 06 माह में कियान्वयन/प्रगति की समीक्षा एवं निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में दिनांक 13.04.2023 को अपरान्ह 12:30 बजे, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के सभाकक्ष में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जायेगी।** अतः सादर अनुरोध है कि आपके विभाग के अन्तर्गत हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 से सम्पर्क करते हुऐ उनके कियान्वयन के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना सहित उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12/4/23

(श्रीनाथ पासवान)
उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र,
गाजियाबाद।

पृ0सं0 /उपरोक्त/तद दिनांक : –

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं बैठक में प्रतिभाग हेतु प्रेषित :–

1. व्यै0 सहायक, जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ कि उक्त बैठक को महोदय के कार्यक्रम में अद्यतन करने की कृपा करें।
2. व्यै0 सहायक, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजियाबाद को बैठक के विषय में महोदय को अवगत कराने विषयक।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), गाजियाबाद।
4. सहायक सूचना निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, गाजियाबाद।
5. अध्यक्ष/महा सचिव, समस्त औद्योगिक संगठन, जनपद गाजियाबाद।
6. निवेशक/उद्यमी.. जनपद गाजियाबाद।

(श्रीनाथ पासवान)
उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र,
गाजियाबाद।